

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स ग्लोबल सर्विसेज, प्रस्तावक: श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, पिता: श्री अनिल मिश्रा, पता: महुआवा बिनवलिया, शिकारपुर, पश्चिमी चंपारण-845455, बिहार द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 01 (गोविंदपुर) बालु घाट, मौजा-गोविंदपुर, ब्लॉक-गोविंदपुर, जिला-नवादा का नवादा अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक: 03.07.2024 को अपराह्न 04:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, गोविंदपुर, जिला-नवादा के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2359/2023 dated 06.05.2024 के आलोक में श्री चन्द्रशेखर आजाद, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, नवादा (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 03.07.2024 को अपराह्न 04:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, गोविंदपुर, जिला-नवादा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 30.05.2024 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 01 (गोविंदपुर) बालु घाट, मौजा-गोविंदपुर, ब्लॉक-गोविंदपुर, जिला-नवादा के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शशि भूषण निराला ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले

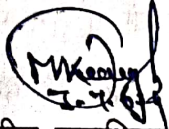
जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु वाहनो में ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनो का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री मनोज कुमार वर्मा, पता: सुबरी, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क टूटने, पेड़-पौधे लगाने एवं बालू खनन की गहराई से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी को करना है, इस परियोजना अवधि में लगभग 300 वृक्षारोपण खाली जगहों एवं नदी के किनारे लेसी को करना है तथा नदी में 2 मीटर की गहराई तक या नदी में पानी मिलने तक ही बालू का खनन कार्य करेंगे। इसप्रकार श्री मनोज कुमार वर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री मनोज कुमार, पता: विशुनपुर, जिल्ला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी में बालू खनन का कार्य 02 मीटर की गहराई या पानी मिलने तक ही खनन का कार्य करेंगे साथ ही सरकार के द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही बालू खनन का कार्य करेंगे। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री मिनहा यादव, पता: बकसौती, जिला: नवादा।	इनके द्वारा ध्वनी प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ध्वनी प्रदूषण की समस्या का नियंत्रण एवं रोक-थाम हेतु लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन पर रोक के साथ तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसप्रकार श्री मिनहा यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

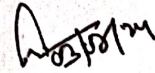
4.	श्री नरेश यादव, पता: रतनी, जिला: नवादा।	इन दोनों के द्वारा बालू खनन के दौरान रोजगार एवं ओवरलोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने की प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही लेसी के द्वारा स्वीकार किया गया कि बालू ढुलाई के दौरान वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। इसप्रकार श्री नरेश यादव एवं उमेश यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री उमेश यादव, पता: विशनपुर, जिला: नवादा।	
6.	श्री शिनन्दन प्रसाद, पता: बनिया बिधा, जिला: नवादा।	इनके द्वारा नदी में ज्यादा गहराई तक बालू की खोदाई एवं बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के दौरान मात्र 02 मीटर तक की गहराई तक का ही खनन का कार्य किया जायेगा। इससे ज्यादा कोई करता है, तो इसकी देख-रेख हेतु जिला खनन विकास पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जाँच करने का आदेश सुनवाई के दौरान ही अपर समाहर्ता द्वारा दिया गया है। साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री शिनन्दन प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
7.	श्री गोरेलाल यादव, पता: सुमरी पंचायत, जिला: नवादा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि गाईडवाल से 100 मीटर की दूरी के बाद ही बालू खनन का कार्य किया जाये ताकि आस-पास के ग्रामीणों को पानी पटवन की समस्या न हो तथा नदी का पईन लेवल बराबर रहे। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष द्वारा (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव एवं अपर समाहर्ता, नवादा (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) द्वारा दिये गये जानकारी को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से इस बालूघाट खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुसंशा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गया



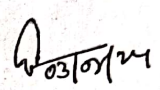
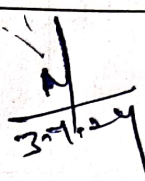
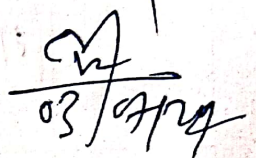
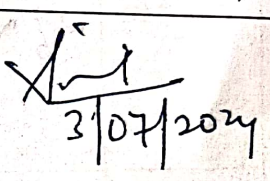
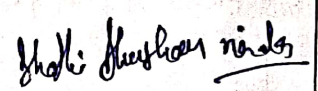
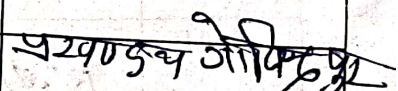
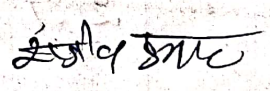
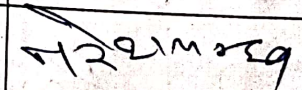
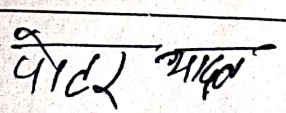
अपर समाहर्ता

—सह—

अपर जिला दंडाधिकारी
नवादा

उपस्थिति सूची

मेसर्स ग्लोबल सर्विसेज, प्रस्तावक: श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, पिता: श्री अनिल मिश्रा, पता: महुआवा बिनवलिया, शिकारपुर, पश्चिमी चंपारण-845455, बिहार द्वारा नवादा संकरी नदी ब्लॉक: 01 (गोविंदपुर) बालु घाट, मौजा-गोविंदपुर, ब्लॉक- गोविंदपुर, जिला-नवादा का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 03.07.2024 को 12:00 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, गोविंदपुर, जिला-नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Chandrashekhara Arad	ADM Nawada	
2.	सरोजिनी कुमारी सिंह	सरोजिनी कुमारी सिंह वि.पु.प्र. नि. मधु खुर्दा	
3.	मुकेश कुमार	सहायक निमित्त, खान एवं भूतत्व, नवादा	
4.	Sumit-Gupta	Representative Global Enterprises	
5.	शशि, भूषण निराला	पर्यावरण सलाहकार पटना	
6.	उमेश भादव	ग्राम पंचायत अध्यक्ष	
7.	शशीधर कुमार	माजोडर	
8.	नरेश भादव	ग्राम प्रधान	
9.	पौट भादव	पिपरा	

10.	मनोज कुमार वर्मा	ग्राम - कुवडी ५९९५- गोविन्दपुर १९३१	गोविन्दपुर
11.	विनोद कुमार दास	ग्राम - शमशु पुर गोविन्दपुर १९६४	विनोद
12.	मनोज कुमार	ग्राम - पोट - विष्णुपुर गोविन्दपुर १९६४	मनोज
13.	गोविन्दलाल माधव चौधरी		गोविन्दलाल
14.	सुनील कुमार	विष्णुपुर	सुनील
15.	मिन्हाज अहमद	वर्मा	मिन्हाज
16.	सुरेश चन्द्र माधव	शवनी पंचगढ़	सुरेश चन्द्र माधव
17.	राजेश पादव	सोचडा	राजेश पादव
18.	दिनेश राय	रामपुर बीजागाओडी	दिनेश राय
19.	शशीशूषण फुलडि	गोविन्दपुर	शशीशूषण फुलडि
20.	Ravindra Kumar	Vill: Sironiya P.O. Sughari Govindpur	Ravindra Kumar

21.	सिंहरी सिंह	गैरगाडी	मोहरी सिंह
22.	मरबनी कुमर	चनपुरी	मरबनी कुमर
23.	शिव नन्दन प्रसाद	परनदेई	Shivnandan prasad
24.	सुनील भादव	वरहकुवा	सुनील भादव
25.	अर्जुन भादव	माधपुरा	Arjun
26.	उपेन्द्र कुमर	Indus Mining Patna	Indus Mining
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			



दैनिक भास्कर पटना, गुरुवार, 03 जुलाई 2024



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in>

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के, समक्ष मेसर्स ग्लोबल सर्विसेज प्रस्तावक: श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, पिता: श्री अनिल मिश्रा, पता: महाराष्ट्र बिनवलिया, शिकारपुर, पश्चिमी चंपारण-845455, बिहार द्वारा नवादा सकरी नदी ब्लॉक: 01 (गोविंदपुर) बालू घाट, मौजा- गोविंदपुर, ब्लॉक- गोविंदपुर, जिला-नवादा में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचारार्थ है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, नवादा, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा एवं जिला खनन कार्यालय, नवादा के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई विमानानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक:	समय	ब्लॉक का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
03-07-2024	अपराह्न 12:00 बजे	गोविंदपुर, जिला-नवादा	नवादा जिला अन्तर्गत गोविंदपुर	सकरी नदी ब्लॉक: 01 (गोविंदपुर)	प्रखंड कार्यालय, गोविंदपुर, जिला-नवादा

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

PR. No. 001012 (B&C) 2024-25

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/pr/bih पर भी देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव

लोकसभा आम निर्वाचन 2024- मतदान का महात्वाकांक्षी बिहार तैयार।